

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-1, बेतिया
Forest colony, Peonibagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran,
Bihar:-855438.
Email-dfo1vtr@gmail.com

राज्यसात वाहनों की आम नीलामी की सूचना-01/24-25

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल-1 अंतर्गत निम्नांकित अंतिम रूप से राज्यसात वाहनों की प्रथम आम नीलामी दिनांक-16.10.2024 निर्धारित की गई है। नीलामी में शेष बचे वाहनों की द्वितीय नीलामी दिनांक-23.10.2024 को एवं पुनः नीलामी में बचे वाहनों की तृतीय नीलामी दिनांक-28.10.2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर प्रखंड के अंतर्गत गोवर्धना वन प्रक्षेत्र के कार्यालय परिसर में आयोजित की जायेगी। नीलामी हेतु चिन्हित वाहनों की सूची निम्नवत् है:-


क्र०सं०	अधिहरण वाद संख्या	वन-वाद संख्या / थाना काण्ड / C.I.S No.	जप्त वाहन का प्रकार एवं निबंधन संख्या	जप्त वाहन जहां खड़ा है।	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
1	15/2013	03/13	Bajaj Boxer Motorcycle HP-14-5712	संबंधित वाहन गोवर्धना वन प्रक्षेत्र, गोवर्धना परिसर में है।	1700	
2	08/2015	27F/15	टाटा मैजिक BR-09H-6004		11500	
3	04/2016	07/16	ट्रेक्टर टेलर आशर 380 BR-22GA-0954		132500	
4	02/2016	05/16	ट्रेक्टर टेलर आशर 242 BR-22Q-8021		153000	
5	08/2017	02/17	Hero HF Deluxe Motorcycle BR-22V-8386		12500	
6	12/2017	56F/17	Bajaj Platina Motorcycle BR-22J-1691		8000	
7	05/2018	20F/18	Bajaj Discover Motorcycle BR-22C-6596		9500	
8	06/2018	27F/18	Bajaj Platina Motorcycle BR-22A-0235		7000	
9	06/2018	27F/18	TVS Sport Motorcycle		11500	
10	02/2022	01F/22	ट्रेक्टर पावर ट्रैक BR-31G-5437		152000	



नीलामी की शर्तें

1. नीलामी 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने के लिए दो पहिया हेतु 1000/- तथा चार पहिया हेतु 10,000/- रू० प्रतिभूति राशि के रूप में नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिभूति राशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण स्वरूप में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन-पत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
5. आम नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को वाहन की बिक्री अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
6. वाहनों की नीलामी 'जहाँ है, जैसे है' उसी स्थिति के आधार पर की जायेगी।
7. सफल नीलामीकर्ता को प्रतिभूति राशि के आलावा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबंधित वाहन की तत्काल पुनः नीलामी कर दी जायेगी।
8. असफल नीलामीकर्ता की प्रतिभूति राशि उसी दिन नीलामी समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त अनुसमर्थन पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित वाहन नीलामी रद्द करते हुए जमा की गई राशि को राज्यसात कर लिया जायेगा एवं उक्त क्रेता को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
10. नीलामी क्रेता द्वारा वाहन का निबंधन स्वयं कराया जाएगा। विभाग द्वारा मात्र अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. किसी भी कार्य दिवस पर उक्त वाहनों को प्रक्षेत्र कार्यालय गोवर्धना में देखा जा सकता है एवं नीलामी से संबंधित जानकारी प्रमंडलीय कार्यालय/वन प्रक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मो. नं. 8789724906
12. अद्योहस्ताक्षरी को नीलामी की तारीख बदलने अथवा नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. नीलामी से संबंधित अंतिम निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1 प० चम्पारण, बेतिया के द्वारा लिया जायेगा।



वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1, बेतिया।


बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-1, बेटिया
Forest colony, Peonibagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran,
Bihar:-855438.
Email-dfo1vtr@gmail.com

राज्यसात वाहनों की आम नीलामी की सूचना-02/24-25

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल-1 अंतर्गत निम्नांकित अंतिम रूप से राज्यसात वाहनों की प्रथम आम नीलामी दिनांक-23.10.2024 निर्धारित की गई है। नीलामी में शेष बचे वाहनों की द्वितीय नीलामी दिनांक-28.10.2024 को एवं पुनः नीलामी में बचे वाहनों की तृतीय नीलामी दिनांक-04.11.2024 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर प्रखंड के अंतर्गत रघिया वन प्रक्षेत्र के कार्यालय परिसर में आयोजित की जायेगी। नीलामी हेतु चिन्हित वाहनों की सूची निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिहरण वाद संख्या	वन-वाद संख्या/ थाना काण्ड /C.I.S No.	जप्त वाहन का प्रकार एवं निबंधन संख्या	जप्त वाहन जहां खड़ा है।	अनुमानित मूल्य	अभ्युक्ति
1	02/2019	19/18	Blue Trailer	संबंधित वाहन रघिया वन प्रक्षेत्र, रघिया परिसर में है।	10200	
2	12/2021	95F/21	Red Trailer		13200	
3	08/2019	04/19	मोटर साईकिल TVS Sport		7200	
4	20/2020	233F/20	TATA VAN (LGV) BR-10G-3012		12500	
5	12/2021	95F/21	ट्रेक्टर स्वराज BR-22QB-2489		156000	
6	13/2021	09/21	मोटर साईकिल सुपर स्पेलन्डर BR-22C-5926		8100	

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने के लिए दो पहिया हेतु 1000/- तथा चार पहिया हेतु 10,000/- रू० प्रतिभूति राशि के रूप में नगद जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिभूति राशि जमा करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण स्वरूप में पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन-पत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
5. आम नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को वाहन की बिक्री अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
6. वाहनों की नीलामी 'जहाँ है, जैसे है' उसी स्थिति के आधार पर की जायेगी।

7. सफल नीलामीकर्ता को प्रतिभूति राशि के आलावा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबंधित वाहन की तत्काल पुनः नीलामी कर दी जायेगी।
8. असफल नीलामीकर्ता की प्रतिभूति राशि उसी दिन नीलामी समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी की स्वीकृति के उपरांत अनुसमर्थन पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित वाहन नीलामी रद्द करते हुए जमा की गई राशि को राज्यसात कर लिया जायेगा एवं उक्त क्रेता को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
10. नीलामी क्रेता द्वारा वाहन का निबंधन स्वयं कराया जाएगा। विभाग द्वारा मात्र अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. किसी भी कार्य दिवस पर उक्त वाहनों को प्रक्षेत्र कार्यालय रघिया में देखा जा सकता है एवं नीलामी से संबंधित जानकारी प्रमंडलीय कार्यालय/वन प्रक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मो. नं.- 8789724906
12. अद्योहस्तक्षरी को नीलामी की तारीख बदलने अथवा नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. नीलामी से संबंधित अंतिम निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1 प0 चम्पारण, बेतिया के द्वारा लिया जायेगा।

 10/11/24

वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-1, बेतिया।